<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>निगरानी/एल आर/12501/2004/जयपुर</u>

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय धारदडा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी श्री सुभाष चन्द जोहरी जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर

प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1.सन्त कुमार फौत जरिये कायम मुकाम–
1/1.श्रीमती भगवती पत्नी स्वच. संतकुमार
1/2. भूपेन्द्र पुत्र स्व.सन्त कुमार
1/3. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व.सन्त कुमार
1/4. धर्मेन्द पुत्र स्व.सन्त कुमार
1/5. प्रवेश पुत्र स्व.सन्त कुमार
1/6. दयावती पुत्री स्व.सन्त कुमार
1/7. सरोज पुत्री स्व.सन्त कुमार
1/8. सुनीता पुत्री स्व.सन्त कुमार
समस्त जाति ब्राहमण निवासी धारदडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2. रघुवीर फौत जरिये कायम मुकाम–
2/1. पवन कुमार पुत्र स्व.रघुवीर
2/2. राजेश पुत्र स्व.रघुवीर
2/3.अनिता पुत्री स्व.रघुवीर
2/4. सुमन पुत्र स्व.रघुवीर
समस्त जाति ब्राहमण निवासी धारदडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

3. रामनिवास पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहमण निवासी धारदडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री विजेन्द्र ढिढारिया अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री अविनाश माथुर अप्रार्थीगण
डा. भगवती सिंह बारहठ अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22.09.2020

यह निगरानी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 26–2–93 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 17–12–88 को नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा खसरा नम्बर 265 रकबा 1–45 हेक्टर बाबत राजकीय उच्च प्राथमिकशाला धारदडा के पक्ष में तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण सन्तकुमार वगैरा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–10–90 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर सन्तकुमार वगैरा ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–2–93 के द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्व खसरा नम्बर 255 हाल खसरा

नम्बर 265 ग्राम धारदडा तहसील कोटपूतली में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6–6–85 को अप्रार्थी के हक में किये गये दो बीघा भूमि के नियमन का अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर तस्दीक किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में तदनुसार अमल दरामद किया जावे। यह भी आदेश दिया कि राजकीय उच्च प्राथमिक शाला को खेल के मैदान हेतु शेष उपलब्ध भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध हय निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि नायब तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 27 स्वीकार किया गया था वह तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 17–12–88 की पालना में तस्दीक किया गया था इस कारण अप्रार्थी की अपील इस नामान्तरकरण के विरूद्ध पोषनीय नही थी एवं अतिरिक्त कलेक्टर ने सही प्रकार से कानूनी प्रावधानों का विवेचन कर अप्रार्थी की अपील निरस्त की थी। धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–12–88 द्वारा नामान्तकरण संख्या 27 जो स्कूल के नाम तस्दीक करने का आदेश दिया गया था,उसके विरूद्ध अपील पेश करनी चाहिये थी एवं यही मूल आदेश था। नामान्तकरण संख्या 27 जो तस्दीक किया गया था वह इस आदेश की क्रियान्विति मात्र था। इस कारण उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पोषनीय नहीं थी।

अप्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के लिये आवेदन करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस कारण अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 8–6–61 को जो आवंटन किया गया था, उस आवंटन के विरूद्ध गिरधारी लाल आदि ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28–9–62को स्वीकार कर भू आवंटन दिनांक 8–6–61 को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था। जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा भू आवंटन आदेश ही निरस्त कर दिया गया था तो उस पूर्व निरस्त शुदा आवंटन आदेश के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण दिनांक 17–12–88 अवैध था। उनका तर्क है कि सन् 1970 में राज्य सरकार द्वारा नये भू आवंटन नियम बना दिये जाने के उपरान्त भू आवंटन का अधिकार तहसीलदार को नहीं था। नये भू आवंटन नियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को ही आवंटन व नियमन करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पूर्व मेंखारिज शुदा आवंटन आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण अवैध नियम विरूद्ध एवं उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था। उनका तर्क है कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–88 एबनिश्यों बोइड व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण पूर्णतः प्रभावहीन था। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए आई आर 1954 पेज 340 का हवाला दिया। विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने तथ्यों एवं विधि का पूर्ण

विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसलिये निगरानी खारिज येाग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी की ओर से निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिये शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये निगरानी को अन्दर मियाद माना जाता है।

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात इस प्रकरण मुख्य रूप से निर्णायक विधिक बिन्दु यह है कि जब प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 8–6–61 को किया गया आवंटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा अपील में दिनांक 28–9–62को अपील स्वीकार कर भू आवंटन दिनांक 8–6–61 को निरस्त कर दिया गया था तो उस पूर्व में निरस्त शुदा आवंटन आदेश के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण दिनांक 17–12–88 कानून की निगाह में वैध है अथवा अवैध है? पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8–6–61 को प्रार्थी को खसरा नम्बर 255 में से 8बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 8–6–61 को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध गिरधारी लाल व अन्य ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या356/62 प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 28–9–62 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26–9–78 के द्वारा यह आदेश पारित किया

कि–''स्कूल के नाम जो 8बीघा भूमि का आवंटन इसी आदेश से हुआ था,स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अतः पूर्व में जो आदेश पत्थर गढी इस स्कूल फील्ड के लिये दिये गये थे को निरस्त किया जाता है। गिरदावर को लिखा जावे।'' अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा पारित उक्त दोनों आदेशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में किया गया आवंटन दिनांक 8–6–61 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28–9–62 से निरस्त कर दिया था और आवंटन आदेश अस्तित्व में ही नहीं था तो पूर्व में निरस्त आवंटन आदेश के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–88 अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है। जिसे निरस्त करने में विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उनके द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–2–93 तथ्यों के अनुकूल एवं विधिसम्मत है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि नायब तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 27 स्वीकार किया गया था वह तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 17–12–88 की पालना में तस्दीक किया गया था इस कारण अप्रार्थी की अपील इस नामान्तरकरण के विरूद्ध पोषनीय नहीं थी। हम विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये तर्को की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पुष्टि नहीं होती है। जैसा कि निर्णय में विवेचन किया जा चुका है कि जब प्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त हो चुका था और आवंटन आदेश अस्तित्व में ही नहीं था तो उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–88 विधि विरूद्ध एवं एबनिश्यो

वोइड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई सार नहीं होने से खारिज योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य